रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246145
CG-DL-E-29052023-246145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2255]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945
No. 2255]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

(आय-कर)

का.आ. 2352(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 246 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-अपील स्कीम, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं – (1) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(i) "अधिनियम" से आय-कर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;

(iii) "अपील" से अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (1) या धारा 246क के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील अभिप्रेत है ;

(iv) “अपीलार्थी” से वह् व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 246 या धारा 246क के अधीन अपील फाइल करता है ;

(v) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;

(vi) “स्वतः आबंटन प्रणाली” से संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिकी टूल्स, जिसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग है, का उपयोग करके मामलों का यादृच्छिक आबंटन हेतु एल्गोरिधम अभिप्रेत है ;

(vii) “कंप्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;

(viii) “अपीलार्थी के कंप्यूटर संसाधन” में आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल या मोबाईल एप्प जो रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रीकृत ई-मेल अकाउंट से संबद्ध है, में अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत अकाउंट सम्मिलित होगा ;

(ix) “डिजिटल हस्ताक्षर” का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है ;

(x) “अभिहित पोर्टल” से प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त या प्रधान महा निदेशक या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा वैब पोर्टल के रूप में अभिहित अभिप्रेत है ;

(xi) “ई-अपील” से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत अकाउंट के माध्यम से ‘ई-अपील’ सुविधा में इलैट्रानिकी रूप से संचालित अपीलीय कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;

(xii) “इलैक्ट्रानिक अभिलेख” का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;

(xiii) “ई-मेल” या “इलैक्ट्रानिक मेल” और “इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज” से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति, जिसके अंतर्गत किसी टेक्सट, इमेज, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी अभिलेख में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसको संदेश के साथ पारेषित किया जा सकता है ;

(xiv) “मोबाइल एप्प” से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग को अनुपयोग साफ्टवेयर अभिप्रेत होगा, जिसको आवेदक के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर पर डाउनलोड और प्रतिष्ठापित किया जाता है ;

(xv) “राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र” से पहचान विहीन अपील स्कीम, 2021 के अधीन स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र होगा ;

(xvi) “वास्तविक समय सतर्कता” से अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर पर लघु संदेश सेवा के माध्यम से या उसकी मोबाइल एप्प पर अपडेट के माध्यम से या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से भेजा गई कोई संसूचना अभिप्रेत है, जिससे उसे किसी इलैक्ट्रानिटी संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क किया जा सके ;

(xvii) अपीलार्थी के “रजिस्ट्रीकृत अकाउंट” से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग अकाउंट अभिप्रेत है ;

(xviii) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को कोई इलैक्ट्रानिकी संसूचना परिदत्त या पारेषित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत –

(क) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैट्रानिकी फाइलिंग अकाउंट में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ख) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) प्रेषिती से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक, डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) प्रेषिती के कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या

(ङ) प्रेषिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेब साइट में उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया ई-मेल पता, सम्मिलित हैं ;

(xix) "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर" से अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर अभिप्रेत है जो अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रोनिक फाइलिंग अकाउंट की उपयोगकर्ता प्रोफाइल में उपदर्शित होता है ;

(xx) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है ; और

(xxi) "वीडियो कोंफ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न अवस्थानों पर वास्तविक समय में लोगों के बीच संचार के लिए ओडियो-वीडियो संकेतों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत हैं ;

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. स्कीम का विस्तार – स्कीम सिवाय धारा 246 की उपधारा (6) के अधीन अपवर्जित मामलों के, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामलों या मामलों के वर्ग, जो अधिनियम की उस धारा के अधीन आते हैं, के संबंध में अपीलों के लिए लागू होगी ।

4. स्कीम के अधीन अपील प्राधिकारी – (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) [जिसे इसमें इसके पश्चात् जेसीआईटी (अपील) कहा गया है] उसके समक्ष फाइल की गई अपील या उसे आबंटित या अंतरित की गई अपील का इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निपटान करेगा ।

(2) जेसीआईटी (अपील) के पास अपीलों के निपटान में सहायता करने के लिए, ऐसा आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार होंगे, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए ।

5. अपीलों का आबंटन – यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से, जेसीआईटी (अपील) को पैरा 3 में निर्दिष्ट अपीलों के यादृच्छिक आबंटन या अंतरण के लिए प्रक्रिया तैयार करेगा ।

6. अपील की प्रक्रिया – (1) पैरा 3 में निर्दिष्ट अपील का निपटान जेसीआईटी (अपील) द्वारा इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(I) जेसीआईटी (अपील), किसी अपील को सौंपे जाने पर,-

(क) यदि अपील अधिनियम की धारा 249 के अधीन अनुज्ञात समय से परे फाइल की गई है तो अपील फाइल करने में विलंब को माफ कर सकेगा और खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश में ऐसे माफ करने या अन्यथा के कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

(ख) अपीलार्थी को नोटिस देगा, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर अपनी दलील प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और ऐसे नोटिस की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति से और सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(घ) अपील या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य के आधारों पर निर्धारण अधिकारी से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा ;

(ङ) अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (4) के अधीन निर्धारण अधिकारी से और जांच करने का और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगा ;

(च) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी को, विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर, यथास्थिति, ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की तामील कर सकेगा, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या अपीलीय कार्यवाहियों से सुसंगत हों ;

(II) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति खंड (I) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (च) में यथा अपेक्षित प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जो जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(III) निर्धारण अधिकारी खंड (I) के उपखंड (घ), उपखंड (ङ) या उपखंड (च) के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो जेसीआईटी (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए ;

(IV) अपीलार्थी जेसीआईटी (अपील) को उसके द्वारा पारित अपील में, ऐसे आधारों का लोप किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए अपील के अतिरिक्त आधार ऐसे प्ररूप में फाइल कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(V) जब अपील के लिए अतिरिक्त आधार फाइल किया जाता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 200क के अधीन या किसी ऐसे अन्य मामले में, जहां अपील योग्य आदेश केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा पारित कोई आदेश है, पारित आदेश की दशा में, ऐसे अतिरिक्त आधारों को स्वीकार करेगा ।

(ख) किसी अन्य मामले में, जेसीआईटी (अपील) अतिरिक्त आधार को टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रदान करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, जो इस निमित्त को किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जेसीआईटी (अपील) अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ;

(घ) जेसीआईटी (अपील) निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्,-

(अ) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के ज्ञापन से ऐसे अतिरिक्त आधार का लोप जानबूझकर नहीं था या पर्याप्त कारण थे, ऐसे अतिरिक्त आधार को स्वीकार करेगा ; या

(आ) किसी अन्य दशा में खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश में कारणों को लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त आधार को स्वीकार नहीं करेगा ;

(VI) अपीलार्थी, उसके द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के प्रक्रम में प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न अतिरिक्त साक्ष्य को जेसीआईटी (अपील) को ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करते हुए कि उसका मामला किस प्रकार नियमों के नियम 46क के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थितियों के अधीन आता है, प्रस्तुत कर सकेगा ;

(VII) जब अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क के अधीन या किसी अन्य मामलें में, जहां अपील किया जा सकने वाला आदेश, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा पारित कोई आदेश है, पारित आदेशों की दशा में ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करेगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में, जेसीआईटी (अपील) अतिरिक्त साक्ष्य को नियमों के नियम 46क के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य की अनुज्ञेयता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(ग) निर्धारण अधिकारी उपखंड (ख) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को ऐसे तारीख और समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, या ऐसी विस्तारित तारीख और समय के भीतर, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(घ) जेसीआईटी (अपील) निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य और रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और वह खंड (IX) के अधीन पारित अपील आदेश का एक भाग बनेगा ;

(ङ) जेसीआईटी (अपील) यदि ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करता है, ऐसे साक्ष्य को अपील कार्यवाहियों में गणना में लेने से पूर्व ऐसे साक्ष्य की जांच करने या ऐसे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने के लिए जैसा कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाए या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य या दस्तावेज या किन्हीं साक्ष्यों के साक्ष्य या साक्षियों का खंडन करने के लिए निर्धारण अधिकारी अवसर प्रदान करने हेतु को एक नोटिस तैयार करेगा और उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे नोटिस को निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ;

(च) निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(छ) निर्धारण अधिकारी जेसीआईटी (अपील) को अपीलार्थी द्वारा किसी दस्तावेज या साक्ष्य को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की जांच करने, जो अपीलीय कार्यवाहियों से सुसंगत हों, का निदेश देने का अनुरोध कर सकेगा ;

(ज) जेसीआईटी (अपील) खंड (I) के उपखंड (ग) या उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट अपीलीय कार्यवाहियों में जांच करने के प्रयोजनों के लिए या जब उपखंड (छ) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त किया जाता है, यदि वह ठीक समझता है तो –

(अ) अपीलार्थी को ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य, जो वह विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति, जो साक्षी है, की परीक्षा करने के लिए ;

नोटिस भेज सकेगा ;

(झ) यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति उपखंड (ज) में निर्दिष्ट नोटिस का प्रत्युत्तर नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय या ऐसी विस्तारित तारीख और समय, जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा ;

(VIII) जब जेसीआईटी (अपील) किसी निर्धारण या किसी शास्ति में वृद्धि करने या प्रतिदाय की रकम को कम करने का आशय रखता है,-

(क) जेसीआईटी (अपील), यथास्थिति, ऐसी वृद्धि या कम करने के कारणों को अंतर्विष्ट करते हुए एक हेतुक उपदर्शित करने का नोटिस तैयार करेगा और नोटिस की अपीलार्थी को तामील करेगा ;

(ख) अपीलार्थी, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर ऐसी तारीख और बढ़ाए गए समय तक जो अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(IX) जेसीआईटी (अपील), इसके पश्चात् निम्नलिखित करेगा, -

(क) अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसार कोई अपील आदेश, अवधारण के लिए बिंदुओं, उन पर लिए गए विनिश्चय और विनिश्चय के कारणों का कथन करते हुए, लिखित में तैयार करेगा; और

(ख) अपीलार्थी को ऐसा आदेश डिजिटल रुप से हस्ताक्षर करने के पश्चात् शास्ति की कार्यवाहियों के ब्यौरों सहित, यदि कोई है, प्रारंभ लिए जाने के लिए भेजेगा;

(ग) 250 की उपधारा (7) के अनुरुप, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसा आदेश संसूचित करेगा;

(घ) ऐसा आदेश निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए संसूचित करेगा जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो;

(ड.) जहां आदेश में शास्ति के प्रारंभ की सिफारिश की गई हो, वहां अपीलार्थी पर नोटिस की तामील यह कारण दर्शाने के लिए करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर, यदि आवश्यक समझी जाए, अधिनियम की धारा 120 के अनुसार किसी आदेश द्वारा ऐसे जेसीआईटी (अपील) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, को हस्तांरित की जा सकेगी ।

7. शास्ति कार्यवाहियां – (1) जेसीआईटी (अपील), अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में, इस स्कीम के अधीन जारी किसी नोटिस, निदेश या आदेश की, यथास्थिति, अपीलार्थी की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालना के लिए अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस की तामील किसी शास्ति कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए यह कारण बताने के लिए करेगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति इस पैरा के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस या पैरा 6 की उपधारा (1) के खंड (ix) के उपखंड (ड.) का उत्तर ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या ऐसे विस्तारित समय और तारीख के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, जेसीआईटी (अपील) को प्रस्तुत करेगा।

(3) जेसीआईटी (अपील), रिकार्ड पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को विचार में लेने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर भी हैं, यदि कोई हो, -

(क) शास्ति आदेश तैयार करेगा और डिजिटल रुप से इसे हस्ताक्षर करने के पश्चात् ऐसे आदेश की एक प्रति तामील करेगा; या

(ख)लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए शास्ति छोड़ देगा या उसकी सूचना यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेजेगा जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ।

8. सुधार कार्यवाहियां – (1) रिकार्ड पर प्रत्यक्ष किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए जेसीआईटी (अपील), अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा पारित किसी आदेश को लिखित में जारी किए जाने वाले किसी आदेश द्वारा सुधार सकेगा ।

(2) इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप पैरा (1) में निर्दिष्ट त्रुटि के सुधार के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित द्वारा जेसीआईटी (अपील) को फाइल किया जा सकेगा :-

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति; या

(ख) निर्धारण अधिकारी।

(3) जेसीआईटी (अपील), आवेदन की जांच करेगा और निम्नलिखित को सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस भेजेगा, -

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, जहां आवेदन निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी को, जहां आवेदन यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया है, यह कारण बताने के लिए कि क्यों न अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन त्रुटि का सुधार कर देना चाहिए ।

(4) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी, उप-पैरा (3) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(5) जेसीआईटी (अपील), यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन और उत्तर को विचार में लेने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा निम्नलिखित करेगा, --

(क) त्रुटियों का सुधार; या

(ख) लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए सुधार के लिए आवेदन को निरस्त करना ।

(6) जेसीआईटी (अपील), डिजिटल रुप से इसे हस्ताक्षर करने के पश्चात् आदेश निम्नलिखित को भेजेगा, -

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति; और

(ख) निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अपेक्षित हो ।

9. अपीली कार्यवाहियां -(1) इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आयकर अपील अधिकरण के समक्ष होगी जिसके पास अपीलार्थी निर्धारिती के निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता पर क्षेत्राधिकार हो ।

(2) इस स्कीम के पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां जेसीआईटी (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश अपास्त हो जाता है और आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जेसीआईटी (अपील) को वापस

भेज दिया जाता है वहां ऐसा आदेश इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार और कार्रवाई करने के लिए जेसीआईटी (अपील) को समनुदेशित किया जाएगा ।

10. इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा संसूचना का आदान-प्रदान करना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,

(क) जेसीआईटी (अपील) और अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के मध्य सबै संसूचनाओं का आदान-प्रदान, जहां तक प्रौद्योगिक रुप से संभव हो, इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा किया जाएगा; और

(ख) जेसीआईटी (अपील) और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के मध्य सभी आंतरिक संसूचनाओं का आदान-प्रदान इलैक्ट्रानिक पद्धति द्वारा किया जाएगा ।

11. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए कोई इलैक्ट्रानिक रिकार्ड निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, -

(i) जेसीआईटी (अपील), पैरा 6 के उपपैरा (1) के खंड (ix) या पैरा 7 के उप पैरा (3) के अधीन या पैरा 8 के उप पैरा (5) के अधीन पारित किए गए आदेश की दशा में, अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके;

(ii) अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या अभिहित पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉगिन द्वारा;

स्पष्टीकरण :- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड” का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 12 के उप नियम (3) में है ।

12. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का परिदान –(1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना अपीलार्थी होने के नाते पाने वाले को निम्न प्रकार परिदत्त की जाएगी, -

(क) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि रखकर; या

(ख) अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर; या

(ग) अपीलार्थी की मोबाइल ऐप पर द्वारा एक अधिप्रमाणित प्रतिलिपि अपलोड करके इसके पश्चात तत्काल सचेतक द्वारा ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना निर्धारिती को,कोई अन्य व्यक्ति होने के नाते, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर इसके पश्चात तत्काल सचेतक द्वारा परिदत्त की जाएगी ।

(3) अपीलार्थी, इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का अपना उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और एक बार जब अभिस्वीकृति, उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर भेजी जाती है तब उत्तर अधिप्रमाणित हुआ समझा जाएगा ।

(4) इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का पारेषण और प्राप्ति का स्थान और समय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

13. स्कीम के अधीन वैयक्तिकउपस्थिति का न होना – (1) इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में किसी व्यक्ति को वैयक्तिक रुप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकेगा ताकि वह अपने मौखिक कथन कर सके या अपने मामले को जेसीआईटी (अपील) के समक्ष प्रस्तुत कर सके और संबंधित जेसीआईटी (अपील) वैयक्तिक सुनवाई के लिए अनुरोध अनुज्ञात करेगा और अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख और समय संसूचित करेगा ।

(3) ऐसी सुनवाई, बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक प्रोद्योगिकी रुप से संभव हो, या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत किसी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो संचालित की जाएगी, ।

(4) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का कथन अभिलिखित करने या कोई परीक्षा इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक प्रोद्योगिकी रुप से संभव हो, अनन्य रूप से या वीडियो

टेलीफोनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत किसी टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है जो या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो, संचालित की जाएगी

(5) बोर्ड, के लिए या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधा एं जिसके अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर भी है, जो वीडियो संगोष्ठी या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता हो, ऐसे अवस्थानों पर जो आवश्यक हो, स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को इस स्कीम के अधीन फायदे से केवल इस आधार पर वंचित न किया जाए कि ऐसे अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के पास वीडियो संगोष्ठी या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है ।

14. राष्ट्रीय पहचानविहीन आयकर अपील केंद्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के कृत्य – प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र),इस स्कीम के अधीन स्थापित जेसीआईटी (अपील) के कार्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा,अर्थात् :-

(i) ई-अपील स्कीम से मामलों का अंदर हस्तांतरण और बाहर हस्तांतरण करना;

(ii) एक जेसीआईटी (अपील) से दूसरे को मामलों का हस्तांतरण करना;

(iii) अपीलों के आबंटन के लिए,यदि अपेक्षित हो, प्रक्रियाएँ बनाने हेतु आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक के साथ समन्वय करना;

(iv) नोटिसों या पत्रों के प्रारुपों का अनुमोदन करना;

(v) विभिन्न प्रक्रियाओं और वीडियो संगोष्ठी संचालित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करना; और

(vi) बोर्ड द्वारा समय-समय पर समनुदेशित कोई अन्य प्रक्रियात्मक कृत्य करना ।

15. प्रारुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रोसेस विनिर्दिष्ट करने की शक्ति –आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक,(प्रणाली) राष्ट्रीय आयकर पहचान विहीन अपील केंद्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के परामर्श से, यदि अपेक्षित हो, इस स्कीम के अधीन स्थापित जेसीआईटी (अपील) के कार्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, स्वचालित और यांत्रिक वातावरण,जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रारुप, ढंग,प्रक्रिया और प्रोसेस मानक भी हैं, अधिकथित करेगा, अर्थात् :-

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ii) किसी नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) ई-अपील सुविधा , जिसके अंतर्गत खाता लॉगिन सुविधा, अपील की प्रास्थिति ट्रैक करना, सुसंगत ब्यौरे उपदर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा भी है, का उपबंध करना;

(v) सूचना और उत्तर तक पहुंच, सत्यापन और अधिप्रमाणन करना, जिसके अंतर्गत अपील कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं;

(vi) किसी केंद्रीकृत रीति में दस्तावेजों या जानकारी की प्राप्ति, भंडारण और पुनर्प्राप्ति; और

(vii) बोर्ड द्वारा समय –समय पर समनुदेशित कोई अन्य कृत्य;

16. अधिनियम के उपबंधों का लागू होना – इस स्कीम में यथाउपबंधित के सिवाय, अधिनियम की धारा 2 के खंड (28गक), धारा 120, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 134, धारा 136, धारा 140, धारा 154, धारा 155, धारा 282, धारा 282क, धारा 283, धारा 284, अध्याय 20 और अध्याय 21 और अधिनियम के अन्य उपबंध, इस स्कीम के अधीन जेसीआईटी (अपील) द्वारा अपील के निपटान में प्रक्रिया को लागू होंगे ।

[अधिसूचना सं. 33/2023/फा. सं. 370142/10/2023-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त संचिव